

[भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 25 जून, 2020

सा. का. नि... (अ).- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के अधिसूचना संख्या 50/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 24 जून, 2020 जिसे सा. का. नि 403 (अ), 24 जून, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 2 खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में पृष्ठ 3 में, पंक्ति 3 में, "कर योग्य आपूर्तियों" के स्थान पर "आपूर्तियों" पढे।

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/09/2019-जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)  
निदेशक, भारत सरकार